क्षेत्रीय कार्यालय   फोन : 2529157

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ब्लाक ई–12/1, सेक्टर–1, नोएडा, जनपद–गौतमबुद्ध नगर

संदर्भ संख्या 2688/C/R-89/16   पंजीकृत 29-1-16

सेवा में

मै0 रादनिक एक्सपोर्ट्स,
ई–2, सेक्टर–59,
नोएडा, गौतमबुद्धनगर

विषय : वायु (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,   02–1–2016

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कृपया आप अपने पत्र दिनांक..............................का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और सशर्त सहमति आदेश संख्या.. सहमति (वायु) आदेश/ G/1/11/16............दिनांक 29-1-16..............को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या 1,5,6,7,8,11,12,13,14,15 जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जा रहा है।

1. सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2. .... के0 वी0 ए0 क्षमता के डी जी. सेट से संलग्न चिमनी की ऊंचाई भूतल/ भवन छत से .... मी0 ऊंचाई किया जाय।

3. फ्लू गैस प्रकिया उत्सर्जन तथा वायु गुणवता को अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के ....माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे...का प्राविधान, संचालन एवं रखाव इस प्रकार किया जाए, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।

5. इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले–आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

6. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहें।

7. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।

8. यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य हैं।

9. आपको उद्योग की आडिट की हुई नवीतम वैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति+वर्तमान सम्पत्ति – वर्तमान देनदारियां) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय फोन : 2529157

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ब्लाक ई–12/1, सेक्टर–1, नोएडा, जनपद–गौतमबुद्ध नगर

सहमति आदेश प्रपत्र

संख्या 911/11/16 /सहमति/वायु आदेश/ R-59 नोएडा, दिनांक 29-1-16

विषय : सहमति मै0 रादनिक एक्सपोर्ट्स,ई–2, सेक्टर–59,नोएडा, गौतमबुद्धनगर

वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा – 21/22 के अन्तर्गत

संदर्भ : आवेदन संख्या शून्य दिनांक 02–1–2016

1. वायु अधिनियम 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै0 उपरोक्त को अपने संबंधों से संलग्नक में वर्णित शर्तो के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता हैं।

2. यह सहमति दिनांक 02–01–2016 से 31–12–2018 अवधि तक विधि मान्य है

3. इस सहमति आदेश में अंकित सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोएडा वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

4.

Atulesh yadav
क्षेत्रीय अधिकारी

अनुलग्नक : संलग्नक

Scanned by CamScanner